तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/10/25	पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो किशनगढ़ द्वारा कार्य का स्थगन रखा गया। अतः पत्रावली P.O. सा. के समक्ष दि. 02/12/25 को पेश हो।	
	दिनांक 2/12/25 बार एसोसियेशन किशनगढ़ द्वारा बार एसो. के चुनाव के कारण किसी प्रकार का एडवर्ड आदेश पारित नहीं करने का निवेदन किया है। तत्सन्दर्भ में आज कार्य स्थगन रखा जाकर पत्रावली पूर्वआदेशानुसार 9/2/2026 को पेश हो।	
9/2/26	पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. किशनगढ़ द्वारा कार्य का स्थगन रखा गया। अतः पत्रावली P.O. सा. के समक्ष दि. 11/3/2026 को पेश हो।	
11/3/26	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप.। पीठासीन अधिकारी [illegible] में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते सं. श्री [illegible] दिनांक 15/4/2026 को पेश हो।	
15/4/26	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप.। पीठासीन अधिकारी [illegible] व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते सं. श्री [illegible] दिनांक 12/5/2026 को पेश हो।	
	C.No. 01/2025 गोस्वामी [illegible] वा. जीवनराम [illegible]	
12/5/2026	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अप्रार्थी [illegible] द्वारा प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 118, 120 LRA [illegible] [illegible] खारिज करने का निवेदन किया [illegible] द्वारा वकील प्रार्थी को सुना गया। अतः प्रार्थना पत्र Not press से खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible]	Not press [illegible] 12/5/26

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, किशनगढ

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 01/2015

गोस्वामी श्याम मनोहर बनाम जीवण वगैरह

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

निर्णय दिनांक :- 17.5.2017

प्रार्थीगण गज्जू, बज्जाराम, जीवण, रामचन्द्र, राधा देवी पुत्रगण/पुत्री स्व0 आणदा एवं कालू पुत्र जमना, लाछी देवी पत्नि स्व0 सोहन, केसर सिंह पुत्र स्व0 श्री सोहन, नानू पुत्र स्व0 श्री जमुना, गंगा पुत्री स्व0 श्री जमना, किला देवी पुत्री स्व0 श्री जमना सर्वजाति रावत सर्वनिवासीगण ग्राम ढाणी पुरोहितान तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ग्राम मदनगंज पटवार क्षेत्र मदनगंज के ख0नं0 265 वर्तमान ख0नं0 461 जिसमें प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी लाला वल्द उमा रावत नाम से 10–13–00 भूमि में खसरा गिरदावरी सम्वत् 2020 में खातेदारी/बापीदार के अधिकार प्रदत किये गये है। उपरोक्त आराजी पर प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी 70–80 वर्षो से काबिज काश्त करते आ रहे है एवं पूर्वाधिकारी की फौत होने के पश्चात् प्रार्थीगण ही उपरोक्त आराजी में काबिज काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी का उपरोक्त आराजी में नाम अधिकार अभिलेख से विलोपित करते हुये उपरोक्त आराजी को मन्दिर श्री बृजराज जी महाराज के नाम से इन्द्राज कर दी जो इन्द्राज प्रार्थीगण के अधिकारों पर बेअसर व शून्य है इस बाबत् प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् दावा कर रखा है जिसकी आगामी पेशी दिनांक 27.07.2015 है जो गज्जू बनाम मन्दिर श्री बृजराज जी महाराज राजस्व वाद संख्या 28/2015 एवं दिनांक 16.03.2015 को पेश किया गया एवं वाद के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो प्रार्थना पत्र संख्या 27/2015 गज्जू व अन्य बनाम मन्दिर श्री बृजराज जी महाराज के नाम से विचाराधीन है। इस प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष गलत तथ्यों को अवधारित करते हुये गलत पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थीगण को जानकारी तब हुई कि दिनांक 11.05.2015 को प्रार्थीगण न्यायालय द्वारा पत्थरगढ़ी के आदेश करवा रहे थे तब उपस्थित पक्षकार द्वारा आपत्ति पेश की एवं न्यायालय द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

यह निर्देशित किया गया कि वाद विचाराधीन है दस्तावेज पेश कर दे। तब प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र दिनांक 12.05.2015 को न्यायालय में प्रस्तुत कर दी जिसकी न्यायालय द्वारा दिनांक 23.06.2015 को प्रमाणित प्रतिलिपि दी गई। तत्पश्चात् उक्त प्रकरण की तारीख 07.07.2015 कायम की गई, इसलिये प्रस्तुत प्रकरण की तारीख पेशी एवं दस्तावेज प्राप्त होने से यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि पेश किया गया है। उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के रूप में संयोजित किया जाना आवश्यक है चूंकि उक्त आराजी में प्रार्थीगण का हित अधिकार स्वत्व निहित है एवं मौके पर प्रार्थीगण काबिज काश्त करते आ रहे है उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण आवश्यक पक्षकार है प्रार्थीगण के बिना सुनवाई की गई तो प्रार्थीगण के अधिकार महरूम हो जायेंगे एवं उक्त आराजी भूमाफियों के गिरोह में जाकर खुर्द बुर्द हो जायेगी। प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे यह प्रावधित नियम है कि चर्तुसीमा में आराजी के चौर्थफा खातेदारों के पक्षकार बनाना आवश्यक है जबकि प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है जो प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के रूप में पक्षकार संयोजित करने के आदेश जारी करने का निवेदन किया।

प्रार्थी गोस्वामी श्यामसनोहर जी की ओर से जवाब पेश कर अंकित किया कि

At the out set, the plaintiff respectfully submit that application filed by the third party deserves to be dismissed with costs. The plaintiff submit that above mentioned application filed by the plaintiff under Sections 111 and 128 of the Land Revenue Act of Rajasthan against the defendant No. 1 since the defendant No. 1 creating obstructions in the use and enjoyment of the subject matter of the property by the plaintiff. The plaintiff submits that defendant No. 1 has not filed any vakalatnama nor has appeared before this Hon'ble court. The plaintiff submit that defendant No. 2 has already submitted the report before this Hon'ble court and supported the application filed by the plaintiff. The plaintiff respectfully submit that the third party has claimed that they are in possession of the subject matter of the property and therefore, they are necessary and proper party in the application filed by the plaintiff. The plaintiff respectfully submit that third party are not in possession of the subject matter of the property and only with a view to delay the hearing of the application filed by the plaintiff, third party has filed such application without any substance or without any evidence. The plaintiff respectfully submit that

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

third party has not produced any evidence to support their so called right on the subject matter of the property. The plaintiff further submit that in fact the third party has contended that prior to 70 to 80- years, *purva adhikari* of the third party were cultivating the land. Similarly in the application further it has been contended by the third party that in the Revenue Record name of *purva adhikari* of the third party were shown but same has been removed and name of the Temple has been mentioned in the Revenue Record. The plaintiff respectfully submit that third party has made absolutely false statement only with a view to take the advantage before this Hon'ble court on the application filed by the third party for joining as party. The plaintiff respectfully submit that third party deliberately has not produced single iota of evidence to support so called allegation made by the third party in the application. The plaintiff respectfully submit that all throught out in the Revenue Record name of the Temple has been shown and continued and plaintiff has already produced the necessary documents along with application filed by the plaintiff before this Hon'ble court. The plaintiff further submit that it is pertinent to note that on 07.07.2014 one Ladu and others have sold "Khasara" No. 461 to one Poonamchand for total consideration of Rs. 1,18,80,000/-. The plaintiff submit that thereafter once again very Ladu has sold sub plot No. 60 of the said "Khasara" No. 461 to one Kuldip by document dated 16.06.2015. The plaintiff submit that plaintiff came to know that said Kuldip, who has purchased the sub plot No. 60 from Ladu has, lodged the F.I.R. on 16.06.2015 under Section 420, 467, 468 read with 120 of I.P.C. The plaintiff submit that all the accused named in the said F.I.R. were arrested and learned Magistrate as well as Hon'ble Session Court has refused the Bail application presented by three accused and thereafter said three accused were released on bail by order passed by the Hon'ble High Court. The plaintiff submit that fourth accused namely Ladu has been released on bail by order passed by the Hon'ble Sessions court of Kishangarh. The plaintiff therefore respectfully submit that on one hand third party claims that they are in possession of the subject matter of the property and on the other hand, as mentioned herein above, subject matter of the property has been sold by others by two respective sale deeds. The plaintiff submit that in fact except the plaintiff nobody having possession of the subject matter of the property and to support the same, photographs of the subject matter of the property are produced along with

the present reply. The plaintiff respectfully submit that on 18.06.2015, Revenue Department has carried out the measurement *simagyan* of the subject matter of the property and same is produced with the present reply. The plaintiff submit that said report bears the signature of all the neighbours (land owners or land occupiers). The plaintiff submit that considering the above facts, it is practically impossible to believe or to accept that third party are in possession of the subject matter of the property. The plaintiff submit that deliberately the third party has filed such application to delay the hearing as well as the order which requires to be passed on the application filed by the plaintiff before this Hon'ble court. The plaintiff submit that third party are also appear to be "Bhumi Mafiya" and therefore third party has filed absolutely falsa and frivolous application without any substance and/or without any evidence and therefore such application deserves to be dismissed with costs. The plaintiff respectfully submit that third party has claimed that third party has filed the suit under section 212, and therefore third party requires to be joined in the above application filed by the plaintiff. The plaintiff submit that third party has given copy of the said suit to the plaintiff and on perusal of the same, it appears that though third party has claimed that third party are cultivating the land and having possession of the subject matter of the property, third party has not produced any evidence to support their case. Not only that, even "Jamabandhi" has not been produced though third party has contended that their names were appearing in the "Jamabandhi" but without their knowledge same has been removed and name of the Temple mutated in the "Jamabandhi". The plaintiff therefore respectfully submit that merely suit has been filed by the third party, third party are not required to be joined or third party are not necessary or proper party in the application which has been filed by the plaintiff before this Hon'ble court. The plaintiff respectfully submit that considering the facts stated herein above, claim of the third party appears to be absolutely falsa and frivolous and therefore presence of third party in no way necessary or proper in the application filed by the plaintiff. In view of the above facts, application filed by the third party deserves to be dismissed with costs.

प्रकरण में प्रार्थी श्री गोस्वामी श्याममनोहर जी की ओर से वकील द्वारा अपनी लिखित बहस पेश कर अंकित किया कि वादग्रस्त ख0नं0 461 की सम्पूर्ण 21—12—00

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

भूमि प्रार्थी के निजी आराध्य श्री बृजराज जी के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज है वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के पूर्वज को किशनगढ़ राज्य द्वारा निजी भेट स्वरूप प्रदान की गई है जिस पर प्रार्थीगण व उनके पूर्वजों का कोई विधिक हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण का लाला वल्द उमा रावत से कोई सम्बन्ध नहीं है। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रार्थीगण लाला वल्द उमा रावत के उत्तराधिकारी की श्रेणी में नहीं आते है। प्रार्थीगण ने लाला वल्द उमा रावत का वारिसान/उत्तराधिकारी होने बाबत् कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है। वादग्रस्त भूमि बृजराज जी महाराज देह (खुद काश्त) के नाम दर्ज है जो इन्द्राज वर्तमान में सतत् जारी है। प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी लाला वल्द उमा रावत नहीं है। प्रार्थीगण ने राजस्व रिकार्ड सम्वत् 2010 से 2019 के आधार पर स्वयं को लाला वल्द उमा रावत के वारिसान होने का कथन गलत है। प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी लाला वल्द उमा रावत नहीं है। वादग्रस्त आराजी एक मात्र प्रार्थी के निजी आराध्य श्री बृजराज जी के नाम जमाबन्दी में वर्तमान में इन्द्राज है। प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी व प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए है। इस कारण राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज प्रार्थी के विरूद्ध शून्य नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व वाद व राजस्व प्रार्थना पत्र गज्जू बनाम मन्दिर श्री बृजराज जी विधि के प्रावधानों के अनुसार शाश्वत नाबालिग नाबालिग के विरूद्ध स्वीकार योग्य नहीं है व निरस्तनीय है। प्रार्थी ने स्वयं के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि पर जीवण द्वारा हस्तक्षेप करने के कारण धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत विधि अनुसार प्रार्थनां पत्र प्रस्तुत किया है जो विधि अनुसार पोषणीय है। प्रार्थीगण को प्रार्थी के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण का विवादित कृषि आराजी पर कोई हक, अधिकार व स्वत्व निहित नहीं है। प्रार्थी के निजी आराध्य की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ही हस्तक्षेप किए जाने के कारण उसे प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। अन्य पड़ौसी खातेदार ने कभी भी प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि में हस्तक्षेप नहीं किया है। प्रार्थीगण ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी के विरूद्ध दुर्भावनावश पेश किया है। वादग्रस्त भूमि को बिना किसी हक व अधिकार के विक्रय करने का इकरार किये जाने पर पुलिस थाना किशनगढ़ ने दिनांक 16.06.2015 को धारा 420, 467 व 468 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज किया है जो अभी न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थीगण ने प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब कारित करने के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। वादग्रस्त ख0नं0 461 की भूमि पर प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र तहसीलदार किशनगढ़ के समक्ष पेश

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

किया था और पटवार हल्का मदनगंज द्वारा दिनांक 18.08.2015 को उक्त खसरा नम्बर का सीमाज्ञान किया गया और वहां उपस्थित करीब 30–35 व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये गये। पटवार हल्का मदनगंज की सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार स्वयं के हक व अधिकार की खसरा नम्बर की 461 की भूमि पर उसकी सुरक्षा हेतु चारों ओर करीब 6 फीट पक्की दीवार का निर्माण करवा रखा है तथा लोहे का गेट एवं मन्दिर के नाम से बोर्ड भी लगा रखा है एवं भूमि की सुरक्षा हेतु चौकीदार नियुक्त कर रखा है जो उक्त भूमि पर निर्मित कमरे में निवास कर रहा है। प्रार्थी ने अपने निजी आराध्य श्री बृजराज जी के नाम से उक्त भूमि पर विद्युत कनेक्शन ले रखा है एवं कृषि भूमि के काश्त के लिए ट्यूबवैल खुदवा रखा है। प्रार्थी ने उक्त भूमि पर कृषि कार्य प्रारम्भ कर रखा है एवं काफी मात्रा में पेड़ पौधे लगवा रखे है।

प्रार्थीगण गज्जू, बज्जाराम वगै0 की ओर से वकील द्वारा लिखित बहस पेश कर अंकित किया कि वादी ने न्यायालय में धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् ग्राम मदनगंज के ख0नं0 265 वर्तमान ख0नं0 461 में मंदिर श्री बृजराज जी महाराज की कृषि भूमि में पत्थरगढ़ी करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया जबकि उक्त आराजी में प्रार्थीगण की पूर्वाधिकारी लाला वल्द उमा रावत नाम से 10–13–00 भूमि में खसरा गिरदावरी सम्वत् 2020 में खातेदारी/बापीदार के अधिकार प्रदत्त किये गये है उपरोक्त आराजी में प्रार्थीगण के पूर्वाधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से पूर्व से ही काबिज काश्त करते आ रहे है करीबन 70–80 वर्षो से प्रार्थी व प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी लगातार काबिज करते आ रहे है। प्रार्थीगण के पक्ष में सम्वत् 2020 की गिरदावरी में खातेदारी अधिकार भी प्रदत्त कर दिये गये है आज भी उस आराजी पर काबिज काश्त है। गोस्वामी श्याममनोहर का उक्त आराजी में किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। प्रार्थी गोस्वामी श्याममनोहर द्वारा जो माननीय न्यायालय में समक्ष धारा 111, 128 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसमें अप्रार्थी के रूप में जीवणराम को पक्षकार संयोजित किया गया है, जो जीवणराम प्रार्थी गोस्वामी श्याममनोहर का ही आदमी है। गुपचुप तरीके से मिली भगती करके उक्त आराजी से माननीय न्यायालय से पत्थरगढ़ी का आदेश प्राप्त करना चाह रहे है जबकि प्रार्थी गोस्वामी श्याममनोहर द्वारा जो आवश्यक पक्षकार है उसको पक्षकार ही नहीं बनाया गया है इस कारण से प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोजित करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जबकि प्रार्थीगण उक्त आराजी में मौके पर काबिज काश्त है एवं सम्वत् 2020 की गिरदावरी रिकार्ड ऑफ राइटस के नाम से जानी जाती है। इस परिपेक्ष्य में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णित किया जा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

चुका है "यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि धारा 111, 128 का प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व उक्त आराजी के चौतरफा काश्तकारों को पक्षकार बनाना आवश्यक है ताकि उन पक्षकारों की किसी प्रकार की सीमा में विवाद नहीं हो एवं न्याय निर्णय करने में किसी प्रकार की त्रूटि कारित ना हो जबकि प्रार्थी गोस्वामी श्याममनोहर द्वारा केवल मात्र एक अजनबी आदमी को पक्षकार बनाकर उसकी एकपक्षीय कार्यवाही करवाकर माननीय न्यायालय से गलत तथ्यों के आधार पर निर्णय करवाना चाह रहे है इस परिपेक्ष्य में माननीय न्यायालय के समक्ष आर.आर.टी. 2015(1) पेज संख्या 608 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा डी0बी0 द्वारा फैसला दिया गया है कि राजस्व भू0 राजस्व अधिनियम 1956 धारा 111, 128 में यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि सभी प्रभावित पक्षकारों को नोटिस देना आवश्यक था परन्तु प्रार्थी गोस्वामी श्याममनोहर द्वारा प्रार्थना पत्र में चौतरफा पक्षकारों को पक्षकार न बनाकर गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश कर माननीय न्यायालय से निर्णित करवाना चाह रहे है जो विधिक तौर से गलत है धारा 111 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 में प्रावधान दिया गया है कि माननीय न्यायालय विहित प्रक्रिया अपनाते हुये प्रकरण को निस्तारित किया जाना आवश्यक है ताकि न्याय निर्णय में किसी प्रकार की त्रूटि कारित ना हो इस प्रकार प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार है।" प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष उक्त आराजी बाबत् खातेदारी उद्घोषणा हेतु वाद पेश कर रखा है जिसका उनवान है गज्जू व अन्य बनाम गोस्वामी श्याममनोहर वगैरह जिसकी आगामी पेशी दिनांक 13.02.2017 नियत है। इस प्रकार भी प्रार्थी गोस्वामी श्याममनोहर के प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण आवश्यक पक्षकार हो जाते है। इस परिपेक्ष्य में निर्णय हेतु गोस्वामी श्याम मनोहर बनाम राज्य सरकार भी दिनांक 27.01.2017 नियत है उसमें निम्न न्यायिक नजीरे पेश की जा चुकी है इस प्रकरण में भी न्यायिक नजीरो का उल्लेख किया जा रहा है जो माननीय न्यायालय अवलोकन करने में सक्षम है। वकील प्रार्थीगण द्वारा निम्न प्रकार न्यायिक नजीरे आर0बी0जे0 2016 पेज नम्बर 111, आर0बी0जे0 2001 पेज नम्बर 165, आर0आर0टी0 2006(2) पेज नम्बर 1424 व आर0आर0टी0 2007(2) पेज संख्या 1344 पेश कर प्रार्थीगण गज्जू व अन्य पुत्रगण अणदा को प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार संयोजित करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ताकि प्रार्थीगण के हित अधिकार सुरक्षित रह सके एवं न्याय निर्णय करने में किसी प्रकार से कोई त्रूटि कारित न हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

लिखित बहस में वादी के अनुसार प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी लाला बल्द उमा रावत नही है। प्रार्थीगण ने राजस्व रिकार्ड सम्वत् 2010 से 2019 के आधार पर स्वयं को लाला बल्द उमा रावत के वारिसान होने का कथन गलत है। प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी लाला बल्द उमा रावत नही है। वादग्रस्त आराजी एक मात्र प्रार्थी के निजी आराध्य श्री बृजराज जी के नाम जमाबन्दी में वर्तमान में इन्द्राज है। प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी व प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए है। इस कारण राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज प्रार्थी के विरूद्ध शून्य नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व वाद व राजस्व प्रार्थना पत्र गज्जू बनाम मन्दिर श्री बृजराज जी विधि के प्रावधानों के अनुसार शाश्वत नाबालिग नाबालिग के विरूद्ध स्वीकार योग्य नहीं है व निरस्तनीय है। प्रार्थी ने स्वयं के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि पर जीवण द्वारा हस्तक्षेप करने के कारण धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत विधि अनुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो विधि अनुसार पोषणीय है। प्रार्थीगण को प्रार्थी के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण का विवादित कृषि आराजी पर कोई हक, अधिकार व स्वत्व निहित नहीं है। प्रार्थीगण ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी के विरूद्ध दुर्भावनावश पेश किया है। वादग्रस्त भूमि को बिना किसी हक व अधिकार के विक्रय करने का इकरार किये जाने पर पुलिस थाना किशनगढ़ ने दिनांक 16.06.2015 को धारा 420, 467 व 468 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज किया है जो अभी न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थीगण ने प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब कारित करने के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है।

हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं दस्तावेजात् का गहनता से अवलोकन किया जाकर वकील वादी एवं प्रतिवादी की लिखित बहस एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों पर मनन किया गया। अतः उपरोक्त परिपेक्ष में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का स्वीकार किया जाकर प्रकरण में प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण सं0 3 लगायत 13 के रूप में पक्षकार संयोजित करने के आदेश जारी किये जाते है। वकील वादी संशोधित शिर्षक पेश करे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 17.4.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)